` भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.171

02 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय : किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत वितरित ऋण

171. श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री कृपाल बालाजी तुमानेः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री संजय सदाशिव राव माडलिंकः

श्री चन्द्र शेखर साहूः

श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र सहित देश में विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अंतर्गत वितरित किए गए ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसानों के बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए केसीसी योजना के अन्तर्गत ऋण की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वर्तमान में ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र में केसीसी योजना के अन्तर्गत कवर किए गए किसानों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) वर्तमान में कितने आवेदन लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं और लम्बित आवेदनों के त्वरित निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या किसानों के खर्च में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए केसीसी धारकों हेतु ऋण की राशि बढ़ाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या किसान लिए गए ऋण का केवल वार्षिक ब्याज केसीसी के माध्यम से बैंकों को भुगतान कर सकते हैं और यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा प्रबन्ध करने का विचार है; और

(ज) क्या सरकार का मत है कि ऐसा करने से किसान ऋण का भुगतान समय पर कर पाएंगे और साहूकारों के उत्पीड़न से मुक्त रहेंगे?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से वितरित ऋण सहित महाराष्ट्र के साथ-साथ अल्पावधि फसल ऋणों का राज्यवार विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

(ख) एवं (ग): आरबीआई के केसीसी मास्टर सर्कुलर के अनुसार केसीसी के अंतर्गत ऋण की सीमा का निर्णय निम्नलिखित पद्धति से लिया जाता है।

फसल के लिए वित्तीय मानदंड के अनुसार दी जाने वाली ऋण सीमा की राशि (जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार) x बुवाई क्षेत्र की सीमा + 10% फसल कटाई/परिवार/खपत आवश्यकता की सीमा + 20% कृषि परिसम्पतियों की मरम्मत रख-रखाव खर्चा + फसल बीमा एवं/अथवा निजी दुर्घटना बीमा स्कीम (पीएआईएस), स्वास्थ्य बीमा एवं परिसम्पति बीमा सहित दुर्घटना बीमा।

द्वितीय या उससे बाद के वर्षों के लिए इस प्रकार गणना की जाएगी-फसल की खेती के उद्देश्य से पहले वर्ष की सीमा उपरोक्त प्ल्स लागत वृद्धि/प्रत्येक आगामी वर्ष (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ष) तथा किसान ऋण कार्ड की अवधि अर्थात पांच वर्षों के लिए अनुमानित सावधिक ऋणघटक के वित्तीय मापदंडों में लागत वृद्धि/बढ़ोतरी हेतु 10% की सीमा। इसलिए केसीसी ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जाती है।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में केसीसी स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए किसानों की कुल संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	केसीसी के अंतर्गत महाराष्ट्र में कवर किए गए किसानों की संख्या (वास्तविक संख्या)
2017-18	2304683
2018-19	2257706
2019-20	2502716

(ड.): कुल 2,27,593 केसीसी आवेदन पत्र लम्बित हैं। भूमि के दस्तावेज न मिलना/दस्तावेजों में अंतर होना केसीसी आवेदनों के लम्बित होने का मुख्य कारण है।

लम्बित केसीसी आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए उठाए गए कदम

1. केसीसी से संबंधित मुद्दों को तीव्रता से निपटाने के लिए संबंधित बैंक शाखा को सत्यापित भू अभिलेख प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

2. 3.00 लाख रूपये तक के ऋण के लिए प्रोसेसिंग शुल्क, निरीक्षण शुल्क, लेजर फोलियो शुल्क जैसे सभी प्रकार के सेवा शुल्कों को माफ कर दिया गया है।

3. पूर्ण आवेदन प्राप्त करने के पश्चात केसीसी जारी करने के लिए 14 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।

(च): सूचना उपरोक्त उत्तर (ख) एवं (ग) के अनुसार।

(छ) एवं (ज): केसीसी स्कीम संबंधी आरबीआई के मास्टर परिपत्र के अनुसार लिए गए ऋण पर केवल ब्याज की अदाएगी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ब्याज माफी स्कीम (आईएसएस) के प्रावधानों के अनुसार, किसान द्वारा 3 लाख रूपये तक केसीसी कृषि अल्पकालिक ऋण लेने वाला किसान बैंक से 2% ब्याज माफी के लिए पात्र है तथा ऋण का तत्काल भुगतान करने पर किसान 3% की अतिरिक्त ब्याज माफी प्राप्त करने का पात्र है। इस प्रकार किसान समय पर भुगतान कर देने पर 4% के प्रभावी ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण प्राप्त करता है। इसलिए किसान मूलधनराशि के साथ-साथ उसपर देय ब्याज का पुनर्भुगतान करने पर कुल 5% की ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। आज की तिथि में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ किसानों के ऋण के बोझ को कम करने के लिए और उन्हें साहूकारों के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां आरंभ की हैं। इन स्कीमों/गतिविधियों में देश में सभी पात्र किसानों को रियायती दरों पर संस्थागत ऋण सुनिश्चित करने के लिए केसीसी सेच्यूरेशन अभियान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), संयुक्त देयता समूह का गठन (जेएलजी), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि मण्डी (ई-नेम), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) आदि शामिल हैं।

लो.अता.प्र.सं.171

अनुबंध

वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान वितरित किए गएकिसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से दिए गए ऋण सहित अल्पकालिक कृषि ऋण।

क्र.सं.	राज्य एवं क्षेत्र	अल्पकालिक कृषि ऋण 2017-18	अल्पकालिक कृषि ऋण 2018-19	अल्पकालिक कृषि ऋण 2019-20
		धनराशि (लाख रू. में)	धनराशि (लाख रू. में)	धनराशि (लाख रू. में)
1	दिल्ली	653,926.31	188,082	75458.71
2	हरियाणा	3,883,484.44	4,116,242	4325010.10
3	हिमाचल प्रदेश	1,090,564.56	489,996	566620.02
4	जम्मू और कश्मीर	924,882.27	1,053,258	1092927.82
5	पनजब	5,297,747.92	5,402,287	5744444.42
6	राजस्थान	6,358,254.75	6,157,042	6710406.79
7	चंडिगढ़ सं.रा.क्षेत्र	129,324.76	40,844	18455.21
	उत्तरी क्षेत्र	**18,338,185.01**	**17,447,751**	**18533323.07**
8	अरुणाचल प्रदेश	2,673.86	2,450	2733.72
9	असम	150,692.24	105,700	153552.87
10	मणिपुर	3,676.79	3,803	3306.17
11	मेघालय	28,662.96	13,715	14852.24
12	मिजोरम	2,324.91	1,717	1276.75
13	नागालैंड	8,263.27	8,327	10475.26
14	सिक्किम	6,574.83	5,910	7063.13
15	त्रिपुरा	70,474.85	41,274	20251.59
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	**273,343.71**	**182,895**	**213511.73**
16	अंड.एवं निको.द्वीपसमूह	4,205.19	3,119	2623.59
17	बिहार	1,443,514.10	1,788,625	1716342.36
18	झारखंड	210,039.84	175,729	176811.40
19	ओडिशा	1,565,001.97	1,733,809	1798134.69
20	पश्चिम बंगाल	1,484,358.00	1,221,784	1362037.11
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	4,707,119.10	4,923,065	5055949.15
21	छत्तीसगढ़	1,083,965.94	642,086	983197.18
22	मध्य प्रदेश	4,591,768.91	4,414,701	4187075.29
23	उत्तराखंड	469,267.66	530,000	459799.27
24	उत्तर प्रदेश	6,151,245.23	6,045,197	7436722.59
	मध्य क्षेत्र	**12,296,247.74**	**11,631,984**	**13066794.33**
25	गोवा	33,917.76	34,033	29004.35
26	गुजरात	3,965,037.59	3,985,046	4396483.94
27	महाराष्ट्र	2,737,137.32	3,366,558	3154705.69
28	दादर एवं नागर हवेली	1,304.20	1,104	1146.43
29	दमन एवं दीव सं.रा.क्षेत्र	1,215.66	986	1154.32
	पश्चिमी क्षेत्र	**6,738,612.53**	**7,387,727**	**7582494.73**
30	आंध्र प्रदेश	7,869,068.09	8,291,211	9338034.57
31	तेलांगना	4,496,082.00	2,737,804	3293032.10
32	कर्नाटक	4,414,577.49	3,797,494	4447674.55
33	केरल	5,475,924.52	6,002,335	6222451.02
34	पुडुचेरी	184,596.92	218,909	240180.51
35	तमिलनाडु	10,527,616.13	12,599,610	14521319.96
36	लक्ष्द्वीप	50.78	140	154.92
	दक्षिणी क्षेत्र	32,967,915.93	33,647,501	38062847.63
	सकल योग:	75,321,424.02	75,220,924	82514920.64